तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खेमचन्द बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बापिणी)

सू.अ.अ. अपील संख्या 37 / 2020

26.02.20

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमचन्द पुत्र चेतनराम मेघवाल, पता वार्ड नं.–1, पुराना एस.डी.एम. कोर्ट के पास, अनूपगढ जिला गंगानगर, ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.10.2019 में उसके द्वारा (1) नकल चालू जमाबंदी ग्राम चाडी तहसील बापिणी का खसरा नम्बर 1973 रकबा 59.13 बीघा तक व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बापिणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार बापिणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार बापिणी) से जरिये पत्रांक 203 दिनांक 19.02.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी को उसके द्वारा पूर्व में सूचना का अधिकार के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्रों पर इस कार्यालय द्वारा पत्र कमांक 1034 दिनांक 19.06.2019, 1431 दिनांक 19.08.19 व 2345 दिनांक 26.11.19 के द्वारा लिखकर सूचित किया गया कि वह हलका पटवारी से निर्धारित नकल फीस जमा कर चालू जमाबंदी की नकल प्राप्त करें क्योंकि पटवार अभिलेखों की नकलों हेतु दर निर्धारित है। प्रकरण में उल्लेखित ख.नं. 1973 में चेतनिया वल्द खेतिया की जाति मेघवाल अंकन नहीं होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर इस कार्यालय द्वारा वांछित कार्यवाही संभव नहीं है।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट में बिन्दु संख्या एक के बाबत् प्रार्थी को सूचित किया गया, उससे हम सहमत नहीं है। चूंकि किसी सूचना / प्रमाणित प्रति का शुल्क निर्धारित किया हुआ है तो उस शुल्क के बारे में प्रार्थी को जमा कराने बाबत् बताया जाना चाहिए था परन्तु प्रार्थी को यह लिखना गलत है कि वो हलका पटवारी से निर्धारित नकल फीस जमा कर जमाबंदी की नकल ले। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है है तथा तहसीलदार बापिणी को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को बिन्दु संख्या–एक (नकल चालू जमाबंदी ग्राम चाडी तहसील बापिणी) की सूचना विधिक प्रावधानों के तहत 15 दिवस में प्रेषित करें। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।